



भारतीय जीवन बीमा निगम

परिशिष्ट-2
दावा पत्र जी.बी.

मंडल कार्यालय : रायपुर

जीवन बीमा निगम कानून / अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित

मास्टर पॉलिसी संख्या

दावेदार और नियोजक के प्राक्कथन / विवरण

भाग-1 दावेदार का प्राक्कथन / विवरण

(मास्टर बीमा धारक द्वारा भरा जाना है अर्थात् ग्रुप ग्रेच्युटी / समूह प्रदान योजना में ट्रस्टी द्वारा और सुपर एनुएशन / में सेवा निवृत्ति योजना में नियोजक द्वारा)

1. अ. योजना का नाम :
- ब. मास्टर पॉलिसी संख्या :
- स. मास्टर पॉलिसी धारक
(नियोजक का पूरा नाम व पता) :
2. अ. दिवंगत सदस्य का पूरा नाम :
- ब. सदस्यता संख्या :
- स. जन्मतिथि :
- द. नामांकित व्यक्ति का नाम :
- इ. बैंक खाता क्र. एवं बैंक नाम :
- फ. पी.एफ. खाता क्रमांक :
3. अ. योजना में सदस्य के सम्मिलित होने की तिथि :
- ब. सदस्य के मृत्यु की तिथि :
- स. सदस्य के मृत्यु का कारण
(स्पष्ट एवं पूर्ण) :

हम घोषणा करते हैं कि ऊपर लिखे प्रश्नों के उत्तर समग्र रूप से सत्य है। हम इसके साथ सदस्य की मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न कर भेज रहे हैं।

स्थान :

दिनांक :

मास्टर बीमाधारक / नियोजक के हस्ताक्षर
(सील / मोहर)

- मृत्यु प्रमाण - पत्र की स्वरूप स्पष्ट करें।
- मृत्यु प्रमाण - पत्र नगर पालिका निगम / ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए।

भाग-2 नियोजक का प्रमाण-पत्र

मृत्यु के पहले 3 वर्ष में यदि स्वास्थ्य संबंधी प्राक्कथन / विवरण के अभाव इसे नियोजक द्वारा भरा जाना है।

1. अ. नियोजक का नाम एवं पता :
 2. अ. मृतक का पूरा नाम :
 - ब. सदस्यता संख्या :
 - स. सेवा / नौकरी में भर्ती होने की तारीख :
 - द. मृत्यु के पहले नौकरी में उपस्थित होने की आखिरी तारीख :
 - इ. मृत्यु का दिनांक :
 - उ. मृत्यु का स्थान :
 - ऊ. क्या मृत्यु के तारीख में नौकरी / सेवा में था ? :
3. मृत्यु पूर्व पिछले तीन वर्षों में अनुपस्थिति का रिकार्ड :

अवधि तक	दिनों की संख्या	छुट्टी का स्वरूप	आवेदन पत्र में उल्लेखित कारण	टिप्पणी

- स्वास्थ्य संबंधी के आधार पर अनुपस्थिति / छुट्टी के लिए क्या डॉक्टर प्रमाण-पत्र दिया था।

हम घोषणा करते हैं कि ऊपर लिखे प्रश्नों के उत्तर समग्र रूप से सत्य हैं।

स्थान :

नियोजक के हस्ताक्षर
सील / मोहर

